[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या **13**/2019- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक **14** मार्च, 2019

सा.का.नि. ..... (अ). जहां कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और सऊदी अरब (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "संतृप्त वसा अल्कोहल" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2905 17, 2905 19 और 3823 70 के अंतर्गत आते हैं, के आयात के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना संख्या 14/51/2016-डीजीटीआर, दिनांक 23 अप्रैल, 2018, जिसे दिनांक 23 अप्रैल, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि प्रश्नगत उत्पाद को विषयगत देशों में इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत को निर्यात किया गया था और यहां इसके कारण इसकी भरमार हो गई है । इनमें से कुछ आयातों के कारण तो यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हो रही थी,

और उन्होंने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को लगाए जाने की सिफारिश की है;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 28/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 25 मई, 2018, जिसे सा.का.नि. 498 (अ), दिनांक 25 मई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था के द्वारा विषयगत वस्तु पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था ।

और जहां कि मैसर्स पीटी एनर्जी सेजाहेतेरा मास (प्रोड्यूसर), इंडोनेशिया और मैसर्स सिनारमस सेप्सा प्राईवेट लिमिटेड (एक्सपर्ट/ट्रेडर), सिंगापुर ने सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 के अनुसार उस निर्यात के बारे में समीक्षा करने का अनुरोध किया है जो कि उनके द्वारा किया गया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 'न्यू शीपर रिव्यू' अधिसूचना संख्या 7/38/2018-डीजीटीआर, दिनांक 15 जनवरी, 2019, जिसे 15 जनवरी, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा उन सभी विषयगत वस्तुओं के सभी निर्यातकों के अनंतिम आंकलन की सिफारिश की है जिसका निर्यात उपर्युक्त पार्टी ने किया है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक की इसके द्वारा समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 के उप नियम (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात एतदद्वारा आदेश देती है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा की जा रही उक्त समीक्षा के परिणाम के आने तक विषयगत वस्तु, जब इनका मूलत: उत्पादन या निर्यात विषयगत देश में मैसर्स पीटी एनर्जी सेजाहेतेरा मास (प्रोड्यूसर), इंडोनेशिया के द्वारा और मैसर्स सिनारमस सेप्सा प्राईवेट लिमिटेड (एक्सपर्ट/ट्रेडर), सिंगापुर के माध्यम से हुआ हो का तब तक अनंतिम आंकलन किया जाता रहेगा जब तक कि इस समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है ।

2. यह अनंतिम आंकलन उस प्रतिभूति या गारंटी के अधीन होगा जिसे सीमा शुल्क का यथोचित अधिकारी यह समझे कि किसी प्रकार की कमी की स्थिति में भुगतान के लिए यह उपयुक्त है और यदि निश्चयात्मक प्रतिपाटन

शुल्क को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा की जा रही जांच के पूरा होने के अधीन रहेगी ।

3. निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा की जा रही उक्त समीक्षा के पूरा होने के पश्चात प्रतिपाटन शुल्क के लगाए जाने की सिफारिश किए जाने पर आयातकर्ता उस प्रतिपाटन शुल्क का भुगतान करने का दायी होगा जो कि विषयगत वस्तुओं के सभी प्रकार के आयात, जब इनका मूलत: उत्पादन या निर्यात विषयगत देश में/से मैसर्स पीटी एनर्जी सेजाहेतेरा मास (प्रोड्यूसर), इंडोनेशिया के द्वारा और मैसर्स सिनारमस सेप्सा प्राईवेट लिमिटेड (एक्सपर्ट/ट्रेडर), सिंगापुर के माध्यम से किया जा रहा हो और उनका भारत में आयात किया जा रहा हो । यह प्रतिपाटन शुल्क उक्त समीक्षा के प्रारंभ होने की तिथी से लागू होगा ।

[फाइल संख्या 354/169/2018–टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा**)**
अवर सचिव, भारत सरकार